International Journal of Scientific Research in Science and Technology
© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X

महिला सशक्तिकरण की विविध आयाम : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन और चुनौतियाँ

डॉ0 गायत्री कुमारी
एम.ए., पीएच.डी. (समाजशास्त्र)
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

किसी भी देश का समग्र विकास महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरा है। राष्ट्र प्रणेता स्वामी विवेकानंद ने विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका स्वीकार करते हुए उचित ही कहा था कि जिस प्रकार एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती है उसी प्रकार बिना महिलाओं की सहभागिता के कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा पूरे विश्व और विशेष रूप से तृतीय विश्व की महिलावादियों द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों की आलोचनाओं और वाद–विवाद का परिणाम प्रतीत होती है। वाल्टर (1991) के अनुसार, इसके श्रोत 1970 के दशक में लैटिन अमेरिका में विकसित लोकप्रिय शिक्षा की अवधारणा तथा महिलावादियों के मध्य परस्पर अन्तःक्रिया में पाए जाते हैं।

महिला सशक्तिकरण के संकेतक

एक संपूर्ण अवधारणा के रूप में महिला सशक्तिकरण के कई पक्ष यथा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि हैं। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया महिलाओं की व्यक्तिगत चेतना और आत्मसम्मान की भावना से प्रारंभ होती है और जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित संसाधनों तक पहुँच और उन पर नियंत्रण स्थापित होने तक चलती रहती

IJSRST18455193 | Received : 05 March 2018 | Accepted : 28 March 2018 | March-April-2018 [(4)7 | 1161-1168]

है। बीजिंग विश्व सम्मेलन (1995) ने निम्नलिखित गुणात्मक व परिमाणात्मक संकेतक महिलाओं के सशक्तिकरण के मूल्यांकन हेतु प्रस्तावित किए थे।

सशक्तिकरण के गुणात्मक संकेतक

1. आत्मसम्मान में वृद्धि, व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मविश्वास।
2. समुदाय विशेष कर महिलाओं को वृहत् स्तर पर प्रभावित करने वाले विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, प्रजनन अधिकार कानूनी अधिकार, शिक्षा आदि के बारे में ज्ञान और चैतन्यता के स्तर में वृद्धि।
3. व्यक्तिगत अवकाश के समय तथा बच्चों के लिए समय में वृद्धि या कमी।
4. नए कार्यक्रमों के परिणाम से महिलाओं के कार्यभार में वृद्धि या कमी।
5. समुदाय तथा परिवार के प्रति उनकी भूमिकाओं और दायित्व में परिवर्तन।
6. महिलाओं तथा बालिकाओं के विरूद्ध होनेवाली घरेलू या अन्य प्रकार की हिंसा के स्तर में देखी जा सकने योग्य कमी या वृद्धि।
7. महिला विरोधी सामाजिक और अन्य परंपराओं जैसे–बाल विवाह, दहेज, विधवाओं के प्रति भेदभाव आदि के विरूद्ध प्रतिक्रिया और परिवर्तन।
8. महिलाओं की सहभागिता के स्तर में दृष्टव्य परिवर्तन जैसे–क्या महिलाएँ अपने जीवन से जुड़ी अन्य घटनाओं में भागीदारी माँग रही है? इत्यादि।
9. महिलाओं का समूह के साथ–साथ व्यक्तिगत स्तर पर घर और समुदाय में उनकी सौदेबाजी, वार्तालाप की शक्ति में वृद्धि।
10. न केवल परियोजना से संबंधित सूचनाओं और ज्ञान को एकत्रित करने की योग्यता में अभिवृद्धि बल्कि उनके जीवन को क्या प्रभावित करता है के बारे में ज्ञान।

11. ग्राम, जिला तथा राज्य स्तर पर महिलाओं के सशक्त समूहों, संघ का गठन।
12. महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित भेदभाव के प्रति समुदाय के सदस्यों की सामाजिक अभिवृतियों में सकारात्मक परिवर्तन।

पूर्वी चम्पारण में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में कई चुनौतियाँ हैं, जिन्हें हम मौटे तौर पर सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनैतिक चुनौतियों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।

सामाजिक चुनौतियाँ

पूर्वी चम्पारण की सामाजिक संरचना काफी विविधतापूर्ण है। यहाँ सवर्ण, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। सबकी अपनी–अपनी परम्परा, रीति–रिवाज और मान्यताएँ हैं जो उन्हें जातिगत रूढ़ियों में बद्ध रखती हैं। छूआछूत, पर्दाप्रथा, भ्रूणहत्या, कन्याहत्या, तिलक–दहेज, नशा सेवन आदि सामाजिक बुराइयों के पीछे जातीय परम्परा, रीति–रिवाज और मान्यताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किन्तु, एक बात में समानता देखने को मिलती है कि हर जाति और हर समुदाय की महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफी दयनीय है, उन्हें सामाजिक गरिमा प्राप्त नहीं है, वे अपनी जाति और समुदाय के पुरूषों के निर्देशों को मानने के लिए विवश हैं।

पूर्वी चम्पारण की धरती के लिए एक सुखद बात यह है कि यहाँ कभी हिन्दू–मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है। बुद्ध और गाँधी की यह कर्मभूमि सम्प्रदायवाद के विषैले नाखूनों से रक्तरंजित नहीं हुई है और न सम्प्रदायवाद के नाम पर महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। मध्यकाल में पूर्वी चम्पारण के मेहसी में महेब बाबा रहते थे जिनके दर्शन के लिए बादशाह अकबर भी यहाँ पधारे थे। यहाँ सूफियों के कई मजार हैं जिन पर हिन्दू भी चादरपोशी करते हैं और हिन्दू–मुस्लिम समुदाय के लोग भाईचारे के साथ

रहते हैं। इसके बावजूद अल्पसंख्यकों, खासकर उनकी महिलाओं के सम्मुख कई तरह की चुनौतियाँ हैं। निकाह, तलाक, पुनर्विवाह, पर्दा–प्रथा, बाल–विवाह, वृद्ध विवाह जैसी अनेक समस्याओं से वे आक्रांत हैं। फलतः महिला व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। फिर भी, इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य और केन्द्र सरकार ने अनेक वैधानिक प्रावधानों के साथ–साथ अनेक विकासात्मक कार्यक्रम भी चला रखे हैं।

सामाजिक समस्याओं के मूल में जनसंख्या विस्फोट भी एक बड़ा कारण है। पूर्वी चम्पारण की महिलाएँ, खासकर ग्रामीण महिलाएँ जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के प्रति सचेत नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि वे अब भी भोग और विषय–वासना की वस्तु ही समझी जाती हैं। इस सामाजिक अवधारणा के फलस्वरूप संतोनोत्पत्ति तो बाड़–प्रोडक्ट के रूप में स्वतः हो जाती है, जीवन की किसी ठोस योजना के अनुरूप नहीं। ऐसी स्थिति में यहाँ महिलाओं की स्थिति चिन्ताजनक है। वे निर्धनता, बेरोजगारी, निरक्षता, कुपोषण, भिक्षावृत्ति, अपराध, वेश्यावृत्ति के चंगुल में फँस जाती हैं। पूर्वी चम्पारण के एक गाँव नवादा बोकाने में आज भी कुछ वेश्याएँ हैं। ऐसा उदाहरण राज्य के अन्य जिलों के गाँवों में शायद ही देखने को मिलेगा।

इस तरह हम देखते हैं कि पूर्वी चम्पारण में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में कई सामाजिक परम्पराएँ, रीति–रिवाज और मान्यताएँ बाधक हैं, जिन्हें कानूनी और सामाजिक स्तर पर दूर करने की आवश्यकता है। ये ऐसी विषम और जटिल स्थितियाँ हैं, जिन्हें सिर्फ कानून के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है।

सांस्कृतिक चुनौतियाँ

पूर्वी चम्पारण की महिलाओं को जिन प्रमुख सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनमें भाग्यवाद, विशिष्टतावाद, पितृसत्तात्मकता एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति के प्रति उपेक्षा–भाव मुख्य हैं।

वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा के अनुसार ''कर्म और पुनर्जन्म के धार्मिक सिद्धान्त के भारतवासियों को भाग्यवादी बना रखा है। व्यक्ति इस जन्म में मिली जाति की सदस्यता, व्यवसाय, धन–दौलत, सुख–दुःख आदि को पिछले जन्मों का फल मानते हैं। असफलता–सफलता आदि को कर्म और भाग्य का फल मानते हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों की मान्यता है कि भाग्यवादिता एवं कर्म का सिद्धान्त, जन–सामान्य को शोषण के विरूद्ध प्रतिरोध को नियंत्रित करने का एक साधन रहा है। लोगों ने अस्पृश्यता, भेदभाव, बंधुआ श्रमिक जैसी कुप्रथाओं का पालन ईश्वर का वरदान मानकर किया तथा कभी विरोध नहीं किया। लोग भाग में विश्वास करते हैं और अपने विकास के लिए प्रयास नहीं करते हैं। इस धारणा ने समाज को विकसित नहीं होने दिया।

शैक्षणिक चुनौतियाँ

पूर्वी चम्पारण में यद्यपि आज महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है तथापि उसे संतोषजनक नहीं माना जा सकता। इस जिले में कुल 1765 प्राइमरी स्कूल, 405 अपर प्राइमरी स्कूल, 98 स्कूल, 17 कॉलेज और एक निर्माणाधीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। अंगीभूत महिला महाविद्यालय एक ही है जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कुल संख्या 24,08,831 है और साक्षरता 47.36 प्रतिशत है।

यहाँ उच्च शिक्षा का कोई उत्कृष्ट संस्थान नहीं है। तकनीकी और अभियंत्रण, मेडिकल और पारा मेडिकल, प्रबन्धन और अन्य व्यावसायिक शिक्षा का घोर अभाव है जो भी, वह धन उगाही का केन्द्र है और महिलाओं के लिए तो और भी दुर्लभ है।

अतः उच्च और तकनीकी शिक्षा के अभाव में इस जिले की महिलाओं के लिए अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चुनौती भरा कार्य है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी यहाँ के अभिभावक और माता–पिता अपनी बेटियों को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा दिलाने में अभिरूचि नहीं दिखलाते हैं। कुछ तो आर्थिक कारणों से और कुछ वैवाहिक

संबंधों में आनेवाली परेशानियों की संभावित आशंकाओं से उच्च शिक्षा के नाम पर घबड़ा जाते हैं। फलतः लड़कियाँ इनसे विमुख हो जाती हैं और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने तथा स्वावलम्बी बनने से चुक जाती हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई तरह की शैक्षणिक चुनौतियाँ हैं।

आर्थिक चुनौतियाँ

पूर्वी चम्पारण मूलतः कृषि पर आधारित है और यहाँ की कृषि मानसून और वर्षा पर निर्भर है। परिणामतः कृषि कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि का शिकार होती रहती है और लोग अपनी आर्थिक–स्थिति सुधारने के बजाय कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि की निरन्तरता और रोजगार के अन्य अवसर न होने के कारण कृषि पर अधिक दबाव है और उत्पादन अपेक्षा से कम है, फलतः गरीबी, बेरोजगारी, बालश्रम, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, वेश्यावृत्ति, अशिक्षा आदि से स्त्री और पुरूष दोनों पीड़ित हैं। स्त्रियों की स्थिति तो और भी चिन्तनीय है, क्योंकि वे अपने पुरूषों पर निर्भर हैं।

गरीबी के दलदल में पूर्वी चम्पारण की महिला आकंठ डूबी हुई है। यहाँ की आर्थिक अव्यवस्था के कारण हैं–विकास के अपर्याप्त संसाधन, मुद्रास्फीति, पूँजी का अभाव, कार्यकुशलता का अभाव, बेरोजगारी आदि। गरीबी के कारण अप्रत्यक्ष रूप से अशिखा, जनसंख्या की वृद्धि, कुपोषण, नक्सलवाद का विस्तार होता जा रहा है। गरीबी के कारण लोग बेटियों को स्कूल न भेजकर उनसे मजदूरी करवाते हैं, फलतः यहाँ बाल–मजदूरों की संख्या अधिक है। जनसंख्या वृद्धि का अनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के 39 जिलों में पटना जिला के बाद इसका दूसरा स्थान है। जनसंख्या वृद्धि दर 29.01 प्रतिशत है।

''सशक्तिकरण की सफलता तभी संभव है जब इस दिशा में सार्थक व महत्वपूर्ण प्रयास किये जायें और योजनाओं को निष्ठापूर्ण ढ़ंग से क्रियान्वित किया जाए। इस दिशा में उठाये जानेवाले चरणों की सफलता केवल तभी

संभव है जब महिलाएँ स्वयं अपने दायित्वों के प्रति जागरूक होंगी या योजनाओं को स्वार्थों, दुराग्रहों एवं बाधाओं से मुक्त किया जाए।

पुरूषप्रधान समाज महिलाओं के उनके राजनीतिक अधिकार एवं अन्य जीवनोपयोगी अधिकार देने के पक्ष में नहीं है, अतः इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने आपको संगठित करना होगा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए तथा सत्ता में सहभागिता के लिए संघर्ष करना होगा। उन्हें अपनी आत्मा को चैतन्य और सजग बनाना होगा तथा घर–परिवार का वैश्विक संदर्भों में आकलन कर उचित कदम उठाना होगा। अपने में दृढ़ निश्चय और आत्म–विश्वास को प्रबल कर कर्मकाण्ड एवं अंधविश्वासों से दूर होना होगा। पुरूष और महिलाओं के संबंध में उन्हें दोहरी मानसिकता का परित्याग करना होगा। साथ ही, महिला कल्याण योजनाओं के प्रति उन्हें अभिरूचि लेनी होगी तभी दरिद्रता, निरक्षरता, अज्ञानता, घुटन एवं परावल्मबन से मुक्ति मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण संबंधी इन अध्ययनों से स्पष्ट है कि इसका आशय महिलाओं को कुछ निश्चित कार्य करने योग्य बनाने से है वास्तव में महिला सशक्तिकरण जो लिंग समानता पर आधारित है, एक लंबी और निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्षमता वर्द्धन, दक्षता वर्द्धन, आत्मविश्वास संवर्द्धन तथा निर्णय प्रक्रिया में प्रभावकारी भागीदारी आते हैं।

विकास के मुख्य सूचकांक के रूप में महिला सशक्तिकरण विश्व की आधी आबादी हेतु संसाधनों के समान वितरण और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में स्पष्ट भागीदारी की बात करता है। लिंग आधारित हिंसा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों की रोकथाम का तत्व भी इसमें निहित है और इसके लिए न केवल महिलाओं अपितु पुरूषों और एक बड़े पैमाने पर समाज के ज्ञान, अभिवृतियों और व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है।

निष्कर्षतः सशक्तिकरण हेतु महिला समुदाय में जागृति के बावजूद समाज और सरकार, राजनीतिज्ञ और प्रशासन को संवेदनशील होना होगा। इसके अभाव में आधी आबादी को न्याय दिला पाना असंभव होगा।

संदर्भ सूची :

1. भारतीय समाज : मुद्दे और समस्याएँ; वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा; पृष्ठ 339.
2. वही पृष्ठ 340.
3. भारतीय समाज : मुद्दे और समस्याएँ; वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा; पृष्ठ–341.
4. वही पृष्ठ 342.
5. भारतीय इतिहास में महिलाएँ : खुराना एवं चौहान, पृष्ठ 136.
6. वही पृष्ठ 176.
7. Rapport, J.; Studies in empowerment: Introduction to the issue. Prevention in Human services, 3, 1984 .PP. 1-17.
8. Weber, M.; From Max Weber, Edited and translated by H.H. Gerth and C.C. Mills, Newyork: Oxford University Press, 1946.
9. Lips, H. ; Women, men and power : Mountain View C.A. Mayfield,1991